प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के समक्ष रखा जा सके।

इस प्रतिवेदन में अप्रैल 2018 से मार्च 2023 तक की अवधि को सम्मिलित करते हुए 'रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों के कामकाज' की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। यह लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुए।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।